

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 675 / 2020 धारा 366 / 376 भादवि व 2(5) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता सुनील पुत्र सुमिरन बरई निवासी निहैला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.11.2020 को वादी की पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा लिया गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 14.11.2020 को थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें आज दिनांक 17.11.2020 को धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

दुधारा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 वारण्टी नाम पता 1- हामिद हुसैन पुत्र जमीर अहमद निवासी कोहरियावां 2- महेश पुत्र बनवारी 3- उदय राज पुत्र रामआसरे निवासीगण छपिया आनन्दराज थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 12 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 05013 से कालर ने दो पक्षों में विवाद / मारपीट के संबंध में सूचना

दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 11 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया। तथा प्रतिवादी को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी अरविन्द तिवारी, हो0चा0 सुनील अग्रहरि।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 67 वाहनो से 52000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 67 वाहनो से 52000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।